आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25

म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

अर्थवार्ता पत्रिका MPCCI

वर्ष : 26, अंक : 10,11,12 ♦ माह : अप्रैल, मई व जून 2024

माननीय न्यायाधिपति, उच्चतम न्यायालय–श्री जितेन्द्र जी माहेश्वरी के मुख्य आतिथ्य में 119वाँ स्थापना दिवस कार्यक्रम सम्पन्न

"भारत को वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में चेम्बर ऑफ कॉमर्स को अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए"
– जस्टिस श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी

1946–51 के मध्य भूमि–भवन कोष में सहयोग करने वाली फर्मों के परिजनों का हुआ सम्मान

MPCCI पिन का हुआ विमोचन

119वाँ स्थापना दिवस, उच्चतम न्यायालय, भारत के न्यायाधिपति–श्री जितेन्द्र कुमार जी माहेश्वरी के मुख्यातिथ्य में रविवार, 26 मई 24 को सम्पन्न हुआ । इस अवसर पर सर्वप्रथम मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारियों द्वारा कैलाशवासी माधौराव सिंधिया (प्रथम) एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रथम कार्यकारिणी समिति सदस्यों को पुष्पांजलि अर्पित की गई ।

Chopra FINANCIAL SERVICES
KIND ATTENTION
INDUSTRIALIST - STARTUPS
TRADERS - BUILDERS
SERVICE PROVIDRS

Mr. Ajay Chopra
+91 9826255111
Loan up to 90%
Nil Processing Fee
CHOPRA FINANCIAL SERVICES
(Industrial, Financial & Investment Consultant)
Single Window for MSME & STARTUPS
Collateral free & Hybrid Loans
Loans for All – (Fund based & Non-Fund Based) above 30 Lacs
Quick Disposal – Here is a solution of your business problems with our extensive three decades of experience
Govt Subsidy – Upto 100% of Capital Investment
Lowest Interest – With 3% Interest subsidy
Home Loan 751/- Per Lac
Car Loan 1594/- Per Lac
ajaychopra@consultant.com
www.choprafinancialservices.com
F-1 Parasmani Mall, Jayendraganj, Lashkar, Gwalior (M.P) 474009

Tally Accounting Software
The Best Accounting Software For Growing Your Busines.
JOIN NOW
ROMO COMPUTER
9301100898, 9893054666
Tally
POWER OF SIMPLICITY
Features
• Tally On cloud
• Inventory Management
• GST/ Taxation
• Digital Signature
• Invoicing & Accounting
• Business Reports
• Credit and Cashflow management

आकर्षण
55°C
SOLAR FILTER
3D AIR
SELF CLEAN OPERATION
SELF DIAGNOSTIC
Sleep
HYBRID+ AIRCONDITIONER
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
AIR CONDITIONERS
HEAVY DUTY
HYBRID+ AIRCONDITIONER | HYPER INVERTER
• Inverter Vector Control Technology for higher Efficiency
• More Area Coverage
• Long reach air flow
Next Generation High Performance Airconditioning
MOVE THE WORLD FORWARD
55°C AMBIENT
COMPRESSOR 10 YEARS WARRANTY
PCB 5 YEARS WARRANTY
Country of Origin : Thailand
*conditions apply
Brand Shop: L-14 Elixer, Commercial Complex, MK City, Sirhol Road, Gwalior
Shop: Sun Valley Shopping Complex, New City Centre
Authorised SSD
आकर्षण
GWALIOR ALLOYS & STEELS (Pvt) Ltd.
C/o Bhargava Ice Factory, Barafkhana Compound, Tansen Road, Gwalior
Ph.: 0751-4050292, 9993585008
E-mail: barafkhana@gmail.com

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि का फलों की टोकरी से स्वागत, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा किया गया । मुख्य अतिथि–श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी जी द्वारा निम्नांकित पंक्तियों के साथ अपने सम्बोधन की शुरूआत की:–

समय और नदी की धारा में सब बह जाया करते हैं।
होते हैं कुछ लोग यहां जो इतिहास बनाय करते हैं ।।

मुख्य अतिथि–जस्टिस श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी ने कहा कि चेम्बर की स्थापना 26 मई,1906 को हुई और आज 26 मई,2024 को संकष्टी चर्तुथी है, यानि भगवान गणेश की पूजा का दिन और आज जो भी मनोकामना भगवान गणेश से की जाती है, वह सब पूर्ण होती है । आपने कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो इण्डस्ट्री शब्द जुड़ा हुआ है, उसके लिए आज बहुत कार्य करने की आवश्यकता है । आपने कहा कि वर्ष 1991–92 एवं 1992–93 ग्वालियर इण्डस्ट्री का स्वर्णिम काल था फिर इसमें डाउनफॉल आया । बीच में वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में कुछ उछाल देखने को मिला । आपने कहा कि चेम्बर ने जो मल्टी नेशनल कंपनियों के डिपो की स्थापना का संकल्प लिया है, उस पर अवश्य कार्य किया जाना चाहिए । आपने कहा कि मैंने इंदौर में देखा है कि वह लोग अपने कार्य को संकल्प के साथ करते हैं । हमें भी संकल्प के साथ करना है और आज जो हम विचार करेंगे और उस पर कार्य करेंगे, तो आज संकष्टी चर्तुथी तो वह विचार एवं संकल्प हमारे पूर्ण होंगे । कोई भी संस्था नाम से नहीं चलती है। संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व के साथ उस संस्था का व्यक्तित्व बनता है । ग्वालियर का व्यक्ति बहुत स्ट्रांग है, उसके काम करने का तरीका बहुत सशक्त है अर्थात् उसमें एक्जिक्यूशन की शक्ति है । हमारे पास अमल का माद्दा है पर चेतना का अभाव है । हमें अपनी चेतना को जगाना है । यदि आप विचार कर लें और अपनी चेतना को जगा लें, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है । आपने कहा कि मैं, पूर्व राष्ट्रपति–श्री एपीजे अब्दुल कलाम का प्रशंसक रहा हूँ और जब वह चेम्बर के शताब्दी समारोह में आए थे, तब उनका कहना था कि म. प्र. में कौशल की कमी नहीं और यह भूमि परिश्रम की भूमि है । उनका मनाना था कि म. प्र. को एक विकसित राज्य बनाया जाए और इसमें चेम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के कर्मठ सदस्य अपना योगदान दें । आपने कहा कि हम अपने विचारों से आगे बढ़ते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम कर पाएँगे । चेम्बर एकजुट होकर कार्य करे और बड़ा सोचें । आपने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थ व्यवस्था का आव्हान किया है । यह आपके लिए एक इंवीटेशन है और भारतवर्ष की प्रगति में चेम्बर को ग्वालियर एवं मध्यप्रदेश की ओर से अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए । आपने इंदौर के लोगों की भावना की तर्ज पर ग्वालियर के व्यवसाय एवं उद्योग के विकास के लिए कार्य करने की बात कही । हमारे युवा मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए अपने कौशल को दे रहे हैं । यदि हम ग्वालियर में ही अपने व्यवसाय को नये रूप में विकसित करें, तो हमारे युवाओं का टैलेंट भी आपके व्यसाय की उन्नति के साथ ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएगा ।

इस अवसर पर **अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल** द्वारा अपने स्वागत उद्बोधन में 119वें स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जो व्यक्ति शिखर पर पहुँचकर भी सहज व सरल होता है, वह व्यक्ति ईश्वर का सर्वोत्तम आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति होता है । ऐसे व्यक्ति एवं शख्सियत के रूप में आज हमारे बीच जस्टिस–श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी जी विराजमान हैं । मैं, उनका स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ । आपने उपस्थित महानुभावों का भी हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हुए कहा कि स्थापना दिवस पर चेम्बर ऑफ कॉमर्स अपने पूर्वजों एवं उनके कार्यकलापों को याद करता है, जिससे हम सभी को मार्गदर्शन मिले और हम नये संकल्प की ओर बढ़े । आज हम 1946–51 के मध्य जिन फर्मों ने चेम्बर को आर्थिक सहायता दी, जिससे यह भूमि का क्रय एवं भवन का निर्माण हो सका । आज उनका सम्मान किया जा रहा है । आपने चेम्बर की स्थापना एवं इतिहास पर भी अपने उद्बोधन में प्रकाश डाला । आपने कहा कि ग्वालियर हमेशा कर्मवीरों के नाम से जाना जाता है । आपने कहा कि राजनीति, संगीत, न्याय एवं बॉलीवुड में भी ग्वालियर के कर्मवीरों ने ग्वालियर का मान बढ़ाया है । न्याय के क्षेत्र में जस्टिस, श्री आर. सी. लाहोटी जी का कर्मक्षेत्र ग्वालियर रहा । आपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में ग्वालियर का मान बढ़ाया और आज जस्टिस, श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी जी ग्वालियर का मान बढ़ा रहे हैं । आपने कहा कि 119वें स्थापना दिवस पर हमारे द्वारा कुछ संकल्प लिए गए हैं, उनमें, * ग्वालियर विकास का एजेण्डा, * स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम, * युवा उद्यमिता विकास कार्यक्रम, * विधिक जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण पर कार्यक्रम किए जाएंगे । साथ ही, * ग्वालियर में सभी मल्टी नेशनल कंपनियों के डिपो स्थापित करना । * व्यापारी की सुरक्षा के लिए काम करना । * सुरक्षा इस बात कि जब वह वृद्धावस्था में हो, तो उसके चुकाए गए कर के आधार पर उसे पेंशन मिले एवं व्यापारी के यहाँ किसी आकस्मिक दुर्घटना पर नुकसान होने पर उन्हें वापिसी योग्य ऋण शासन से उनके चुकाए गए कर के आधार पर मिले इसके लिए कार्य किया जाएगा ।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए, मानसेवी **सचिव–दीपक अग्रवाल** ने कहाकि गत् वर्ष, दि. 18 जनवरी,2023 को हमारी टीम द्वारा पदभार ग्रहण करने के पश्चात् 118 वर्ष के रिकार्ड को डिजिटलाईज कराया गया, जिसमें लगभग 01 लाख से अधिक दस्तावेज शामिल हैं । मानसेवी सचिव ने बताया कि संस्था के दस्तावेजों का डिजिटलाईजेशन के दौरान रिकार्ड का अध्ययन करने पर यह पाया गया कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स के स्वयं के भवन निर्माण का कार्य शीघ्र सम्पन्न हो सके । इस हेतु इस कार्य के संपादन का भार पूर्ण रूप से श्री गोवरधनदास जी वैश्य को सौंपा गया । साथ ही सदस्यों से सहायता प्राप्ति के प्रयत्न किए गए । भगवान की दया एवं सदस्यों के सहयोग से यह कार्य पूर्ण होकर विजयादशमी संवत्–2008 को चेम्बर के कार्यालय का अपने निजी विशाल भवन में मुहुर्त हो गया ।

इस भवन की भूमि रु. 9,229/– में क्रय की गई। भवन निर्माण में रु. 74,671/– की लागत आई। 104 सदस्यों ने रु. 64,176/– की धनराशि का आर्थिक सहयोग किया। साथ ही, रु. 19,572/– 'चेम्बर कोष' से प्रदान किए गए।

मुख्य अतिथि न्यायाधिपति–श्री जितेन्द्र माहेश्वरी जी द्वारा **MPCCI** की पिन का विमोचन किया गया।

सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति–श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी के जीवन पर **कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल** द्वारा प्रकाश डाला गया।

कार्यक्रम में वर्ष 1946–51 के मध्य संस्था के भवन के लिए भूमि क्रय एवं भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता करने वाले सदस्य फर्म के परिजनों को मुख्य अतिथि द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर, सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सम्मानित फर्म एवं उसके उपस्थित वर्तमान प्रतिनिधि निम्नानुसार हैं :–

- **मे. मोतीलाल अग्रवाल मिल्स लि., मे. ग्वालियर वूल इण्डस्ट्रीज एवं मे. अग्रवाल प्लास्टिक व रबर इण्डस्ट्रीज** : श्री माधव बंसल, श्री आशुतोष बंसल, श्री राघव बंसल, श्री विक्रांत बंसल।
- **मेसर्स ग्वालियर ट्रेडर्स लि.** : श्री विजय नागोरी।
- **मेसर्स नन्दराम नारायणदास** : श्री अशीम वैश्य, श्रीमती सुजाता वैश्य।
- **मेसर्स ग्वालियर पेन्ट व केमीकल इण्डस्ट्रीज लि.** : श्री चन्द्रमोहन नागोरी।
- **मेसर्स गणेशीलाल फूलचन्द** : डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल, श्रीमती चंद्रलेखा गंगवाल व श्री प्रशांत गंगवाल।
- **मेसर्स रामप्रसाद रामनारायण** : श्री राजकुमार गर्ग
- **मेसर्स किशनचन्द्र रामबक्श** : श्री मनीष बिंदल, श्री आकाश बिंदल
- **मेसर्स छेदीलाल फू लचन्द** : श्री नन्दकिशोर अग्रवाल, श्री बृजेश गोयल, श्री बालकृष्ण अग्रवाल
- **मेसर्स मक्खनलाल रघुवरदयाल** : श्री विजय गुप्ता, श्री अजय गुप्ता, श्री चैतन्य गुप्ता
- **मेसर्स जे. बी. मंघाराम एण्ड कं.** : फैक्ट्री हेड–श्री अजीथ गोपीनाथन
- **मेसर्स बालकृष्ण ब्रदर्स** : श्री हरी अग्रवाल, श्री राजेश अग्रवाल
- **मेसर्स दीनानाथ ग्यासीलाल** : श्री सतीश गर्ग श्री अनिल गर्ग
- **मेसर्स तुलसीराम भगवानदास** : श्री देवेन्द्र अग्रवाल, श्री नितिन अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल
- **मेसर्स रामनारायण गोपालदास** : श्री प्रदीप गर्ग
- **मेसर्स धनराज चंचलमल** : श्री मुरारीलाल, श्री विष्णु सिंघल, श्री राकेश सिंघल, श्री सुनील सिंघल, श्री हितेश सिंघल, डॉ. सुरेश सिंघल, श्री विशाल सिंघल
- **मेसर्स चिन्तामन किशनलाल** : श्री राजेश बंसल, श्रीमती मनीषा बंसल
- **मेसर्स शेर बीड़ी एजेन्सी** : श्रीमती अल्पना अग्रवाल, श्री आदयन्त अग्रवाल
- **मेसर्स लालचंद बरमानी एण्ड कं.** : श्री राजीव विरमानी
- **मेसर्स गनपतराम रामनाथ** : श्री रामेश्वर बिजपुरिया
- **मेसर्स गोपीलाल छोटेलाल** : श्री रामबाबू गोयल, श्री हरीशंकर सिंघल
- **मेसर्स दीनानाथ बद्रीप्रसाद** : श्री राकेश कुमार गुप्ता
- **मेसर्स भगवानदास खंडेलवाल** : श्री बालकृष्ण खण्डेलवाल
- **मेसर्स फूलचंद हरविलास** : श्री श्याम शरण बांदिल, श्री भरत बांदिल, श्री लक्ष्मण बांदिल, श्री मनीष बांदिल
- **मेसर्स लेखराज जमनादास** : श्री श्रीकृष्ण गर्ग, श्री अनिल कुमार गर्ग, श्री पुनीत कुमार गर्ग
- **मेसर्स परमानन्द लालचन्द** : श्री महेश गर्ग, श्री भगवत गर्ग
- **मेसर्स लालजीराम बालचन्द** : श्री विजय कुमार गर्ग, श्री अंकित गर्ग
- **मेसर्स भैरोदान घीसूलाल** : श्री पारसमल पारख, श्री अमित पारख
- **मेसर्स हीरालाल कन्हैयालाल** : श्री अक्षय गंगवाल, श्री आदित्य गंगवाल
- **मेसर्स केसरीमल पहाड़ीमल** : श्री गोपाल बांदिल, श्री राजेन्द्र बांदिल, श्री अरुण बांदिल, श्री अशोक बांदिल, श्री दिनेश बांदिल, श्री आशीष बांदिल,
- **मेसर्स जगन्नाथ रामसहाय** : श्री लक्ष्मीनारायण तपा
- **मेसर्स गोवरधनदास राधाकिशन** : श्री सुदर्शन झंवर, श्री भरत झंवर

- मेसर्स शिवप्रसाद औंकारनाथ : श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल, श्री सौरभ अग्रवाल
- मेसर्स भगवानदास शिवदास, शिवपुरी : श्री प्रदीप सांखला
- मेसर्स हनुमान आइल मिल्स, शिवपुरी : श्री भगवतदास गोयल, श्री मनीष गोयल
- मेसर्स रामदयाल एण्ड संस : श्री महेशबाबू सिंघल
- मेसर्स ब्रजलाल ढोढी : श्री विद्यासागर ढोड़ी
- मेसर्स छोटेलाल कस्तूरमल : श्री अरुण कुमार अग्रवाल
- मेसर्स फकीरचन्द गनेशराम : श्री बालकिशोर सिंघल, श्री मनोज अग्रवाल
- मेसर्स मोतीलाल राधाकिशन : श्री आशीष खण्डेलवाल
- मेसर्स रामरत्न रामदेव सारडा : श्री लक्ष्मणदास सारडा, श्री बालकिशन सारडा
- मेसर्स मोतीलाल लख्मीचंद बरैया : श्री हीरालाल बरैया
- मेसर्स डॉ. ओ. एन. गोयल : डॉ. शिवकुमार गोयल, डॉ. अनूप गोयल
- मेसर्स रामजीलाल भगवानदास : श्रीमती लक्ष्मीदेवी अग्रवाल–श्रीमती लता गोयल, श्री वसंत अग्रवाल, श्री पराग अग्रवाल.
- मेसर्स गंगाराम श्रीकिशनदास : श्री कमल सिंघी
- मेसर्स ग्वालियर डिस्ट्रीब्युटिंग कं. : श्री विमल गुप्ता
- मेसर्स कुन्दनमल सूरजमल सचेती : श्री अजीत सचेती
- मेसर्स रामचंद जमनादास रेनवाल : श्री रमेशचंद रेनवाल
- मेसर्स नारायणदास लक्ष्मनदास दूदावत : श्री सुरेश दूदावत, श्री अरविन्द दूदावत
- मेसर्स गोवरधनदास जी वैश्य : श्री संजय वैश्य, श्री संदीप वैश्य

कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल एवं मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल द्वारा सप्रेम भेंट किया गया। आभार, **संयुक्त अध्यक्ष–हेमन्त गुप्ता** द्वारा व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष–डॉ. वीरेन्द्र कुमार गंगवाल, पूर्व संयुक्त अध्यक्ष–श्री प्रशांत गंगवाल, पूर्व उपाध्यक्ष–श्री राधाकिशन खेतान, श्री सुरेश बंसल, श्री पारस जैन, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री जगदीश मित्तल, श्री ब्रजेश गोयल, पूर्व कोषाध्यक्ष–श्री अजीत सचेती, श्री कैलाश लहारिया, श्री गोकुल बंसल, श्री वसंत अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यगण एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

119वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 सदस्यों के नाम सहित 119 पौधों का आदर्श गौशाला मुरार में किया गया रोपण

पौधारोपण से हमारा ग्वालियर हरा-भरा होकर सात्विक ऊर्जा का केन्द्र बनेगा : स्वामी ऋषभ देवानंद

119वें स्थापना दिवस के पूर्व शनिवार 25 मई को पौधारोपण कार्यक्रम स्वामी ऋषभ देवानंद जी के मुख्यातिथ्य में 'आदर्श गौशाला' लाल टिपारा मुरार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि-स्वामी ऋषभ देवानंद जी को फलों की टोकरी भेंटकर स्वागत किया गया।

इस अवसर पर **अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल** ने अपने उद्बोधन में कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी सेवा यात्रा के 118 वर्ष पूर्ण कर, 119वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 118 वर्षों के इतिहास को हमने संजोकर रखा है और यदि देश के इतने ही पुराने संस्थानों पर यदि दृष्टि डालें, तो इतिहास को संजोकर रखने में हम देश के टॉप 5 नंबर्स में स्वयं को पाएंगे। इस ऐतिहासिक यात्रा को संभालना निश्चित ही हमारे लिए गौरव का विषय है और यह दायित्व हमें जिम्मेदारी के साथ चलने की ओर भी इंगित करता है, ताकि हम इस धरोहर को इसी वैभव के साथ अपनी आने वाले पीढ़ी को सौंप सकें। आपने कहा कि आज जो हम 119 पौधों को लगाने जा रहे हैं, यह एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक संदेश भी है कि जहाँ कहीं भी हमें कोई वृक्ष दिखे और हमें यह लगे कि इसमें पानी देने की आवश्यकता है, तो पानी की उपलब्धता न होने पर अपने पीने के पानी की बोटल उस पौधे में डाल दें। यदि हमारी यह भावना वृहद आकार लेती है, तो हमारा ग्वालियर हरा-भरा होगा और फिर शायद ही हमें वृक्षारोपण की आवश्यकता पड़े।

कार्यक्रम का संचालन कर रहे, **मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल** ने इस अवसर पर कहा कि आज 119 पौधों का रोपण कर चेम्बर के 119वें स्थापना दिवस कार्यक्रम का श्रीगणेश किया जा रहा है। आज हम कैलाशवासी श्रीमंत माधव राव जी सिंधिया (प्रथम), कैलाशवासी राजमाता माधवी राजे जी सिंधिया एवं संस्था की स्थापना करने वाले 24 सदस्य के नाम के पौधे रोपेंगे।

कार्यक्रम के **मुख्य अतिथि-स्वामी ऋषभ देवानंद जी** ने अपने आशीष वचनों में कहा कि उत्थान, पतन और निर्माण यह प्रकृति का नियम है। पौधारोपण कार्यक्रम प्रकृति से जुड़ने का मार्ग है। आप जब प्रकृति से जुड़ेंगे, तो आपकी आंतरिक प्रवृति में भी परिवर्तन आएगा। वर्तमान परिवेश में लोग नाना प्रकार की समस्याओं एवं मानसिक अवसाद एवं कुसंगति से जूझ रहे हैं। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। आप आज इस सात्विक स्थान पर आए यह कहीं न कहीं आपको विरासत में मिला है। आपने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन का मूल्य हम सभी को ज्ञात हुआ। उसी समय हमने यह तय किया था कि क्यों न हम सघन वृक्षारोपण कर, एक ऑक्सीजन जोन बनाएँ, जिसमें आकर लोग सात्विक ऊर्जा को महसूस कर सकें। आपने कहा कि जिन लोगों के पास भी प्लांटेशन की जगह है, वह वृक्षारोपण करें, ताकि जल का संचय हो और पर्यावरण भी हरा-भरा रहे। आपने कहा कि ग्वालियर को गालव ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है क्योंकि वह बाहर से आए थे और उन्होंने यहां आकर तप किया था। हमारा ग्वालियर सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था और हमें इसे सांस्कृतिक रूप से और अधिक समृद्ध बनाने की आवश्यकता है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी ग्वालियर से विरक्त न हों।

इन महानुभावों के नाम पर किया गया पौधारोपण :- पौधारोपण कार्यक्रम में कैलाशवासी श्रीमंत माधवराव जी सिंधिया (प्रथम), कैलाशवासी राजमाता माधवी राजे जी सिंधिया एवं इस संस्था की स्थापना करने वाले 24 सदस्य-सेठ रिधराज जी, सेठ जैगोपालदास जी, सेठ सौभागमल जी हरसावत, सेठ सुगनचंद जी, राजा फू लचंद जी, सेठ हीराचंद जी, सेठ भीखमचंद जी, सेठ केसरीमल मूल जी, सेठ नारायणदास दानी जी, सेठ नेमीचंद जी, सेठ नारायण दास जी दूधावत, सेठ परतापमल जी लोढा, सेठ वदन मल जी मूथा, सेठ नन्दराम जी वरैया, सेठ केशरीमल जी कोठारी, सेठ गुलाबचंद जी, सेठ परमेश्वरीदास जी, सेठ रामजीदास जी, कुंवर हुकम सिंह जी साहब, लाला गोवर्धन दास जी, ला. अनन्दी प्रसाद जी, मि. नारायन प्रशाद जी, मयाराम दलाल जी एवं सेठ सौभागमल गोलेछा जी के नाम सहित 119 पौधे रोपित किए गए।

अंत में पदाधिकारियों द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्य-श्रीमती अंजली बत्रा, सर्वश्री भरत कुमार बंसल, राजेश बंसल, राजेश मखीजा, दीपक जैसवानी, राम कुमार चोपड़ा, आशीष अग्रवाल, दीपक अग्रवाल, नंद किशोर गोयल, सुशांत सिंघल, आशीष जैन, विवेक बंसल, अभिषेक गोयल, अंकुर अग्रवाल, दीपक गुप्ता, संजय अग्रवाल, धर्मेश गुप्ता एवं सदस्यगण-सीए दीपक बाजपेई, राजेश बांदिल 'मनीष', अलोपी बंसल, दिनेश अग्रवाल, हरिशंकर सिंघल, संतोष जैन, मनोज बंसल, राहुल शर्मा, प्रमोद गुप्ता, मनोज राठौर, तारा चंद गर्ग, हरिओम गांगिल आदि उपस्थित रहे।

विधिक जागरूकता उपसमिति की बैठक आयोजित

दिनांक 12 अप्रैल,24 को विधिक जागरूकता उपससमिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि हमारे व्यवसाईयों को कई बार कानून/नियमों की जानकारी के अभाव में भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है । इससे निपटने के लिए चेम्बर द्वारा व्यवसाईयों/उद्योगपतियों के कारोबार में आवश्यक कानून/नियमों की जानकारी से अवगत कराने के लिए विधि विशेषज्ञों के साथ वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी । इससे निपटने के लिए चेम्बर द्वारा व्यवसाईयों/उद्योगपतियों के कारोबार में आवश्यक कानून/नियमों की जानकारी से अवगत कराने के लिए विधि विशेषज्ञों के साथ वर्कशॉप आयोजित की जाएगी । सर्वप्रथम चैक बाउंस के विषय पर विशेषज्ञों के साथ एक वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, ताकि हमारे व्यापार में चैक बाउंस के कारण आने वाली परेशानियों का समाधान हो सके । बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि आज आयोजित बैठक में जिन विषयों पर सदस्यों द्वारा विधिक जागरूकता के लिए सुझाव दिए जाएँगे, उन पर शहर के व्यवसायियों/उद्योगपतियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ आयोजित कर, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इससे पूर्व बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा संपत्ति कर, बिजली नियम, चैक बाउंस, व्यापार/उद्योग के लिए आवश्यक लायसेंस, जीएसटी नियम, जमीन/मकान की खरीद–फरोख्त से पहले की सावधानियाँ, सर्राफा कारोबारियों के लिए धारा–411 एवं धारा–412, जीएसटी एवं इनकम टैक्स सर्वे, फूड सेफ्टी एक्ट, रियल एस्टेट और रेरा की जानकारी से संबंधित विषय उठाए गए। विधिक जागरूकता उपसमिति के संयोजक–शैलेष जैन ने कहा कि बिन्दु बहुत सारे हैं, लेकिन हमें चैक से संबंधित विषय से शुरूआत करना चाहिए । आज अन्य विषयों को भी नोट किया जाएगा और फिर धीरे–धीरे उपसमिति की कार्यवाहियों में उन्हें शामिल करेंगे । सहसंयोजक–विवेक अग्रवाल ने सुझाव दिया कि हमें अपने सदस्यों को पहले बेसिक चीजों पर जागरुक करना चाहिए ।

बैठक के अंत में आभार, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया । बैठक में कोषाध्यक्ष–संदीपनारायण अग्रवाल सहित सदस्य–सर्वश्री शशिकांत माहेश्वरी, पुरूषोत्तम अग्रवाल, दीप गर्ग, लव कुमार गर्ग, रवि प्रताप अग्रवाल, राकेश अग्रवाल, हेमेश दण्डौतिया, सौरभ अग्रवाल, कन्हैयालाल चांदवानी, राजेन्द्र मल्होत्रा, कपिल गोयल, राजेन्द्र कुमार गुप्ता, सुरेश बनवानी आदि उपस्थित रहे ।

शहर के मैरिज गार्डन संचालकों के साथ 'फायर सेफ्टी' की एनओसी पर बैठक आयोजित

शहर में संचालित मैरिज गार्डन्स में ''फायर सेफ्टी सिस्टम'' सहित अन्य सभी प्रकार के सुरक्षात्मक उपायों का शासन की गाइड लाईन के अनुसार आवश्यक रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 11 मई 24 को एक वृहद बैठक का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया ।

इस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता कह रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहाकि अभी हाल ही में शहर के एक सुप्रसिद्ध मैरिज गार्डन में दुखद अग्निकाण्ड की घटना निश्चित ही भयानक घटना थी, परन्तु ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई यह हम सभी के लिए राहत की बात है । भगवान न करें इस प्रकार की कोई घटना पुनः घटित हो । आपने कहाकि इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए शहर में संचालित सभी मैरिज गार्डन में 'फायर सेफ्टी सिस्टम' सहित सुरक्षा से जुड़े हुए सभी पहेलुओं पर शासन की गाईड लाइन के अनुसार अमल आवश्यक रूप से सुनिश्चित हो, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है । साथ ही, आपने कहाकि इसमें नगर–निगम सहित जिला प्रशासन व राज्य शासन स्तर पर हरसंभव आपकी सहायता हमारे द्वारा की जाएगी ।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहाकि हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी । फायर सेफ्टी की व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए । यदि हम शासन के सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगे, तब अवश्य ही इसका फायदा सभी मैरिज गार्डन संचालकों को होगा । जहाँ तक फायर एनओसीकी बात है, इसमें क्या–क्या व्यवहारिक परेशानियाँ आती हैं । आप उनसे अवगत कराएँ । हमारे द्वारा हरसंभव आपकी मदद की जाएगी । बैठक में उपस्थित सभी मैरिज गार्डन संचालकों ने अपने–अपने मैरिज गार्डन में 'फायर सेफ्टी सिस्टम' स्थापित कराने सहित सभी प्रकार के अन्य सुरक्षात्मक उपकरण लगाए जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की । साथ ही, चेम्बर ऑफ कॉमर्स से इस हेतु सभी प्रकार की एनओसी दिलाए जाने में सहायता करने की माँग की । बैठक में चेम्बर के उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल एवं मैरिज गार्डन एसोसिएशन के सचिव–श्री रामकुमार सहित मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित थे ।

अप्रैल : कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 30 अप्रैल,24 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

* **MPCCI** के 119वें 'स्थापना दिवस' के अवसर पर 26 मई को आयोजित कार्यक्रम की जानकारी सदन में दी गई।
* लिपिक–श्री राजेश गर्ग की सेवाएँ स्थाई किए जाने का निर्णय लिया गया।
* भृत्य–श्री राकेश रजक की सेवाएँ स्थाई किए जाने का निर्णय लिया गया।

मई : कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 31 मई,24 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :–

* कई वर्ष पुराने अनुपयोगी दस्तावेज/कागजों का निस्तारण करने का निर्णय लिया गया।
* संस्था की सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार कर, निम्न लिखित फर्मों को सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया :–

1. मेसर्स हिमालय पैकर्स, ललितपुर कॉलोनी, लश्कर.
2. मेसर्स सिद्धी विनायक लोजिस्टिक्स, आनन्द नगर, ग्वालियर
3. मेसर्स अग्रवाल थ्रेड फेक्ट्री, नई सड़क, लश्कर, ग्वालियर
4. मेसर्स गुरुकृपा फायर वर्क्स, मोर बाजार, लश्कर, ग्वालियर
5. मेसर्स बिग बॉयज मोटर सायकल्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर.
6. मेसर्स पीयूष ज्वेलर्स, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
7. मेसर्स राहुल ज्वेलर्स, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
8. मेसर्स शांती ट्रेडर्स, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.
9. मेसर्स बालाजी ट्रेडर्स, गाड़वे की गोठ, लश्कर, ग्वालियर.
10. मेसर्स स्काय हाई बिल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रेक्टर्स, फोर्ट रोड, सांई बाबा मंदिर के पास, ग्वालियर
11. मे. गर्ग केमीकल कम्पनी, महाराजपुरा औद्योगिक क्षेत्र
12. मेसर्स देवांस ज्वेलर्स, दही मण्डी, लश्कर, ग्वालियर.
13. मेसर्स माँ शाकम्भरीदेवी कन्सट्रेक्शन कं., न्यू कलेक्ट्रेट के पास, ग्वालियर.
14. मेसर्स अनेजा एण्ड संस नेक्स्ट, मोर बाजार, लश्कर.
15. मेसर्स स्पर्श हार्डवेयर, पाटनकर चौराहा, लश्कर, ग्वालियर
16. मेसर्स कृष्णा गारमेन्ट्स एवं वस्त्र भण्डार, भाऊ का बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
17. मेसर्स विनायक ज्वेलर्स, टोपी बाजार, लश्कर, ग्वालियर
18. मेसर्स आशीष कारपोरेशन, आनन्द नगर, ग्वालियर.
19. मेसर्स विश्व भारती इंटरप्राइजेज, थाटीपुर, ग्वालियर.
20. मेसर्स यूनिक बुक डिपो, एस. डी. एम. रोड, लश्कर.
21. मेसर्स पी. एन. ज्वेलर्स, जयेन्द्रगंज, लश्कर, ग्वालियर.
22. मेसर्स श्री इलेक्ट्रिकल्स स्पेयर पार्ट्स, रॉक्सी पुल, लश्कर.
23. मेसर्स ब्लूसन कलेक्शन, माधवगंज, लश्कर, ग्वालियर.
24. मेसर्स चौरसिया ब्रदर्स, चाबड़ी बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
25. मेसर्स ओम सांई टाइल्स वर्ल्ड, चाबड़ी बाजार, लश्कर.

जून : कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 26 जून,24 को आयोजित कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय :–

* ग्वालियर शहर के विकास के एजेण्डा पर चर्चा की गई।
* कार्यकारिणी सदस्यगणों को **MPCCI** पिन का वितरण किया गया।

म.प्र. के आगामी बजट पर सुझाव संकलित करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं कर सलाहकार के साथ बैठक आयोजित

प्रदेश के आगामी वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए प्रस्तावित बजट में सुझाव प्रेषित करने हेतु दिनांक 14 जून को एक बैठक का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया। उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को रु. 25 लाख का बीमा कवरेज देने की माँग के साथ मध्यप्रदेश सरकार को बजट पर सुझाव प्रेषित किए जाएँगे। प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा योजना कवरेज प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर नागरिक को 25 लाख रूपये का बीमा कवरेज मिले। इसके लिए सरकार किसी बीमा कंपनी की सहायता ले सकती है। इसके लिए सरकार को बजट में प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार की योजना हमारे पड़ौसी राज्य राजस्थान में ''मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना''नाम से लागू है।

मध्यप्रदेश के आगामी बजट पर सुझाव प्रेषित करने हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं कर सलाहकार के साथ आयोजित बैठक में सीए अशोक विजयवर्गीय, जीएसटी उपसमिति के संयोजक–सीए दीपक वाजपेयी, कर सलाहकार संघ से सीए राहुल मित्तल, आईसीएआई से एडवोकेट संदीप गुप्ता, सीए अजय, सीए राहुल जैन, कर सलाहकार संघ के पूर्व अध्यक्ष–एडवोकेट जे.सी. गोयल, मयंक गर्ग, पंकज गोयल उपस्थित थे।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने स्वागत उद्‌बोधन में कहा कि बजट पर सुझाव को हम एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि – कोई भी टैक्स हमारे समीपवर्ती प्रदेश (उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात) की तुलना में अधिक नहीं होना चाहिए और कोई कर ऐसा आरोपित न हो, जो हमारे समीपवर्ती प्रदेश में न हो। हम इस अवधारणा पर ही सुझाव मध्यप्रदेश के आगामी बजट पर प्रेषित करेंगे।

बैठक का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि मध्यप्रदेश में पेट्रोल–डीजल पर वैट अधिक होने से जहाँ व्यापारियों को नुक्सान हो रहा है, वहीं सरकार को भी कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। साथ ही उत्पादों की लागत बढ़ने से जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी अधिक होने से रियल एस्टेट सेक्टर प्रभावित हो रहा है। यदि सरकार स्टाम्प ड्यूटी में कमी करती है, इससे इस सेक्टर में बूम आएगा।

बैठक में उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल ने सुझाव दिया कि सरकार हर माह ''लाड़ली बहना योजना'' पर लगभग 1600 करोड़ रूपये बांट रही है। इसके स्थान पर उद्योग स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे महिला एवं पुरूषों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा और हमारा प्रदेश में रोजगार की समस्या का समाधान होकर प्रदेश उन्नति की राह पर अग्रसर होगा।

बैठक में उपस्थित चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एवं कर सलाहकार द्वारा पेट्रोल–डीजल को जीएसटी में शामिल करने अथवा इस पर वैट की दर पड़ौसी राज्यों के समान करने, स्टाम्प ड्यूटी को कम किए जाने, प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त करने, प्रदेश में प्रचलित वैट के समय व्यवसायियों की जमा की गई एफडीआर को वापिस किए जाने, ग्वालियर के लिए सीसीटीव्ही एवं यातायात कंट्रोल करने के लिए अलग से बजट का आवंटन करने, ग्वालियर को टूरिस्ट हब बनाने के लिए यहाँ के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अलग से बजट आवंटित करने, प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण हेतु दलहन मंगाने पर मण्डी शुल्क से छूट दिए जाने, व्यापारिक सुरक्षा कानून बनाने, मास्टर प्लान के अनुसार बन रही इमारतों की क्षमता के हिसाब से चारों महानगरों में आधुनिक फायर सिस्टम बनाए जाने सहित आदि प्रमुख सुझाव दिए गए।

बैठक के अंत में आभार जीएसटी उपसमिति के संयोजक–सीए दीपक वाजपेयी द्वारा व्यक्त किया गया।

सदस्य डाटा फॉर्म

संस्था के सभी सदस्यों को पूर्व में 'सदस्य डाटा फॉर्म' प्रेषित किए जा चुके हैं। काफी सदस्यगणों द्वारा इस फॉर्म को भरकर कार्यालय में जमा कर दिया गया है, परन्तु अभी भी काफी संख्या में ऐसे सदस्य हैं, जिनके द्वारा अभी तक इस फॉर्म को जमा नहीं किया गया है।

अतः शेष सदस्यों से विनम्र अपील है कि वह डाटा फॉर्म को अविलंब भरकर ''चेम्बर सचिवालय'' में जमा करने का कष्ट करें, ताकि सदस्यों के डाटा को अपडेट किया जा सके।

दीपक अग्रवाल
मानसेवी सचिव

औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद की जानकारी के संकलन हेतु ''गूगल डाटा फॉर्म''

ग्वालियर में स्थापित औद्योगिक इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पाद की जानकारी हेतु डाटा संकलन करने के उद्देश्य से गूगल डाटा फॉर्म सभी उद्यमी सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया है।

उक्त फॉर्म को शीघ्र ही भरकर, सहयोग प्रदान करें।

गूगल डाटा फॉर्म की लिंक निम्नानुसार है :–

https://forms.gle/mVjvicwYEg2HRooN8

'चेम्बर संवाद'

'चेम्बर संवाद' के तहत 13 अप्रैल को समूह क्र. 27 (मुद्रण एवं प्रकाशन व्यवसाय) एवं 28 (पुस्तक एवं स्टेशनरी व्यवसाय) की बैठक आयोजित.

'चेम्बर संवाद' के रूप में दिनांक 11 मई,24 को समूह क्रमांक-20 (भवन निर्माण सामग्री व्यवसाय), समूह क्रमांक-21 (ठेकेदारी व्यवसाय) एवं समूह क्रमांक-22 (बिल्डर्स एवं डेवलपर्स व्यवसाय) के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित.

'चेम्बर संवाद' के अन्तर्गत समूह क्रमांक-23 (लकड़ी एवं फर्नीचर व्यवसाय) की बैठक दिनांक 11 जून,24 को आयोजित.

FMPCCI के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने उपमुख्यमंत्री, माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री, माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय, आयुक्त - नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म. प्र. शासन - श्री भारत यादव से भेंटकर, Fire NOC पर लगने वाली पेनाल्टी को तुरंत समाप्त करने की माँग की

प्रतिनिधि मण्डल में मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल हुए शामिल

फेडरेशन ऑफ म. प्र. चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, भोपाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 18 जून,24 को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री, माननीय श्री कैलाश विजयवगीय, आयुक्त–नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म. प्र. शासन–श्री भारत यादव से भोपाल में मुलाकात की।

प्रतिनिधि मण्डल ने माननीय मंत्रीद्वय से Fire NOC में पेनाल्टी नहीं लगाने के संबंध में अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखते हुए कहा कि कोई भी पेनाल्टी लगाने से पूर्व शासन को 03 महीने का समय व्यवसाईयों को फायर NOC की निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए देने की मांग की।

बैठक में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को दोहरे करारोपण का भार कम करने की भी मांग करते हुए कहाकि, एक तरफ उद्योग को लीज रेंट देना होता है। वहीं इसके साथ नगर–निगम को संपत्ति कर भी देना होता है, जबकि इन औद्योगिक क्षेत्रों का स्वत्व राज्य शासन में निहित है। इन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को निर्धारित शर्ता पर 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज दी गई है। इस संदर्भ में फेडरेशन ने छत्तीसगढ़ सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का नोटिफिकेशन भी संलग्न किया। जिसमें छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की समस्त नगरीय क्षेत्र में उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाईयों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देने हेतु संपत्ति कर देयता से पूर्ण छूट प्रदान की है। फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल में –

❋ डॉ. राधाशरण गोस्वामी, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ❋ श्री अखिलेश राठी, संयुक्त अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ❋ श्री योगेश ताम्रकार, फेडरेशन प्रबंध समिति सदस्य एवं महापौर, सतना ❋ श्री दीपक अग्रवाल, मानसेवी सचिव मध्य प्रदेश चेम्बर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ❋ श्री दीपक शर्मा, उपाध्यक्ष, फेडरेशन एवं अध्यक्ष लघु उद्योग संघ भोपाल ❋ श्री हिमांशु खरे, उपाध्यक्ष, फेडरेशन एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष जबलपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ❋ श्री वीरेन्द्र पोरवाल, उपाध्यक्ष, फेडरेशन एवं अध्यक्ष रतलाम चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ❋ श्री योगेश गोयल, प्रबंध समिति सदस्य, फेडरेशन एवं सचिव गोविन्दपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन ❋ श्री राजीव अग्रवाल, प्रबंध समिति सदस्य, फेडरेशन एवं अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मंडीदीप ❋ श्री अरुण पंवार प्रबंध समिति सदस्य , जबलपुर ❋ श्री अशोक पटेल, प्रबंध समिति सदस्य, फेडरेशन एवं सचिव लघु उद्योग संघ भोपाल ❋ श्री मन्विन्दर सिंह, अध्यक्ष, सतना जिला उद्योग संघ शामिल थे।

MPIDC द्वारा प्रदेश बजट के संदर्भ में दिनांक 18 जून,2024 को भोपाल में आयोजित बैठक में मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में वितरण हेतु लंबित इकाईयों को भुगतान तुरन्त करने की माँग की। साथ ही, आपने कहाकि 38 इकाईयों से जो लगभग 12 करोड़ की राशि है, जो कि गत एक वर्ष से लंबित है तथा मई,2023 से किसी भी इकाई को कोई भुगतान नहीं हुआ है। आपने बैठक में पुरजोर तरीके से माँग की कि जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोहन होकर जो प्रस्ताव शासन को भेजे जाएँ, उसे सरकार की अन्य योजनाओं की भांति उसी दिन सिंगल क्लिक से उसका भुगतान किया जाए।

साहूकारी लाइसेंस शिविर 'चेम्बर भवन' में आयोजित

नगर–निगम, ग्वालियर के सहयोग से शहर के व्यवसाईयों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 18 जून को ''साहूकारी लाइसेंस शिविर'' का आयोजन सफलता पूर्वक 'चेम्बर भवन' में सम्पन्न हुआ। उक्त शिविर में 50 साहूकारी लाइसेंस शिविर, नगर–निगम की टीम द्वारा बनाए गए।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहाकि मैं, आज विशेष रूप से आयुक्त, नगर–निगम–श्री हर्ष सिंह, अतिरिक्त आयुक्त–श्री विजय राज, उपायुक्त–श्री सुनील कुमार चौहान व श्री संजय शिन्दे जी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि इन्होंने हमारे आग्रह पर यहाँ एक व्यवस्थित शिविर आयोजित किया है। आपने कहाकि मैं, इस कैम्प में महसूस कर रहा हूँ कि नगर–निगम के लोग भी यह चाहते हैं कि इस प्रकार के शिविर समय–समय पर आयोजित होने चाहिए, जिससे उन्हें आसानी होती है और व्यवसाई भी बगैर किसी परेशानी के एक ही स्थान पर साहूकारी व ट्रेड लाइसेंस बनवाकर लाभांवित होता है। व्यापारी भी यह कहता है कि इस प्रकार के शिविर आयोजित होते रहना चाहिए क्योंकि वह नगर–निगम में जाते हैं, तब उन्हें कहीं किसी नं. के रूम में भेज दिया जाता है और फिर बाद में किसी और रूम में। जबकि यहाँ पर कोई कमरा नं. नहीं पूछना पड़ रहा है, केवल एक रजिस्ट्रेशन करा लेने के पश्चात् क्रमशः साहूकारी लाइसेंस यहाँ पर बन रहे हैं। दोनों पक्ष जब इस बात के लिए सहमत है कि इस प्रकार के आयोजन यहाँ होने चाहिए, तब ''म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री'' इसमें कहीं पीछे नहीं है। आज यहाँ साहूकारी लाइसेंस शिविर लगाया गया है, शीघ्र ही सम्पत्ति कर शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य जो भी आवश्यक होंगे, उनके कैम्प यहाँ पर लगाए जाएँगे। आपने इस अवसर पर सभी व्यवसाईयों से अपील की कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपने साहूकारी लाइसेंस बनवाएँ। साथ ही, अपने परिचित व्यवसाईयों को भी इस संबंध में सूचित करें, ताकि वह भी शिविर में पधारकर इससे लाभांवित हो सकें।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी सदस्य–सर्वश्री दीपक जैसवानी, आशीष अग्रवाल, नन्दकिशोर गोयल, अभिषेक गोयल (सन्नी) एवं सराफा संघ, लश्कर के अध्यक्ष–श्री पुरुषोत्तम जैन, दाल बाजार व्यापार समिति के अध्यक्ष–श्री दिलीप पंजवानी, सदस्य–सर्वश्री धर्मेन्द्र कुमार गोयल, नारायण बृजवासी, जितेन्द्र कुमार गुप्ता, राजेश कुमार खटूजा तथा कार्यालय अधीक्षक, नगर–निगम, श्री लोकेन्द्र सिंह चौहान सहित नगर–निगम के राजस्व टी. सी. उपस्थित थे।

कार्यक्रम का संचालन, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल ने किया तथा शिविर के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया।

विश्व योग दिवस पर 'चेम्बर भवन' में योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित

विश्व योग दिवस के अवसर पर 'चेम्बर भवन' में योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दि. 21 जून को किया गया। शिविर में भारतीय योग संस्थान म. प्र. प्रांत के योग प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष–राधाकिशन खेतान, कार्यकारिणी समिति सदस्य–आशीष जैन, आशीष अग्रवाल, दीपक श्रीचंद जैस्वानी, संजय अग्रवाल, श्रीमती साधना जैन, नंदकिशोर गोयल, विपुल गुप्ता, राकेश लहारिया सहित सदस्यगण–प्रदीप सिंघल, रामअवतार वर्मा, संजीव मंगल, श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, संजय धवन, अनिल गुप्ता सहित काफी संख्या में प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे।

जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित

जीएसटी पर एक कार्यशाला दि, 18 जून,24 को 'चेम्बर भवन' में आयोजित की गई । इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने उद्बोधन में कहाकि आगामी जुलाई माह में प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है । इसलिए यह उचित समय है कि हमें इस कार्यशाला के माध्यम से व्यापारियों के कारोबार में दैनिक स्तर पर आने वाली समस्याओं का निराकरण एवं समुचित बदलाव पर चर्चा करनी चाहिए । कार्यशाला में जीएसटी विशेषज्ञ, सीए दीपक वाजपेयी एवं सीए शिवम अग्रवाल द्वारा सभागार में उपस्थित व्यवसाईयों की समस्याओं का यथासंभव समाधान किया गया ।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने एक सदस्य का प्रश्न रखते हुए कहाकि यदि एक व्यक्ति दो या अधिक फ र्म में प्रोपराइटर है, तो क्या उसे प्रत्येक फ र्म के लिए अलग जीएसटी नं. की आवश्यकता होगी । इस पर जीएसटी विशेषज्ञ–सीए वाजपेयी जी ने कहाकि यदि अलग–अलग फ र्म का प्रोपराइटर एक ही व्यक्ति है, तो हर फर्म के लिए जीएसटी नं. एक ही रहेगा क्योंकि पेन एक ही है ।

कार्यशाला में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्य–श्री दीपक जैसवानी ने कहाकि पेट्रोल–डीजल भी जीएसटी के दायरे में आना चाहिए । श्री आशीष अग्रवाल ने कहाकि आरसीएम बहुत जटिल है, इसे सरकार को वापिस लेना चाहिए । श्री नंदकिशोर गोयल ने कहाकि पोहा, मुरमुरा, मखाना की पैकिंग पर एक किलोग्राम से 25 किलोग्राम तक टैक्स लगता है, जो कि नहीं लगना चाहिए । व्यवसाई–श्री राकेश अग्रवाल ने कहाकि ई–वे बिल की साइट खुलती ही नहीं है । इसे शासन तक पहुँचाएँ । श्री गौरव जैन ने कहाकि जीएसटी में ग्रेस पीरियड रहना चाहिए । कार्यशाला में मेडीकल व्यवसाय में जीसटी शून्य से रखने की बात भी उठी ।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने आरसीएम के मुद्दे पर कहाकि ''वो एक साथ खड़े हैं, हम बिखरे–बिखरे पड़े हैं'' जिस दिन हम एकता के साथ खड़े होंगे, उसी दिन हमें आरसीएम से मुक्ति मिल जाएगी । आपने इस अवसर पर कोषाध्यक्ष–श्री संदीप नारायण अग्रवाल के सुझाव पर घोषणा की कि 'चेम्बर भवन' में हर माह के तीसरे मंगलवार को जीएसटी कार्यशाला आयोजित की जाएगी । इसमें व्यापारियों की समस्याओं को सुना जाएगा एवं उनका निराकरण कराया जाएगा ।

कार्यशाला का संचालन, मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री पवन कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया तथा अंत में आभार, कोषाध्यक्ष–श्री संदीप नारायण अग्रवाल ने व्यक्त किया ।

अप्रैल–मई, 2024 के महत्वपूर्ण प्रयास......

* पुलिस अधीक्षक, जिला–ग्वालियर एवं आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 'चेम्बर भवन' के सामने प्रमुख मार्ग पर प्रतिदिन लगने वाली सब्जी मण्डी को तत्काल प्रभाव से सख्ती के साथ हटवाने की माँग की गई ।
* महाप्रबंधक, सिटी सर्किल, म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, नया बाजार क्षेत्र में आए दिन बगैर किसी पूर्व सूचना के की जा रही विद्युत कटौती पर आपत्ति व्यक्त करते हुए, भीषण गर्मी के वर्तमान मौसम में विद्युत कटौती नहीं किए जाने की माँग की गई ।
* माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, म. प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर, विद्युत अधिनियम–2003 की धारा 126/135 के संबंध में माँग की गई कि उपभोक्ता के परिसर में किसी भी स्थिति में चैकिंग की स्थिति में पंचनामे की प्रति उपभोक्ता को दिए जाने की माँग की गई ।
* प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय डॉ. मोहन यादव एवं उद्योग आयुक्त, एमएसएमई विभाग, म. प्र. शासन को पत्र प्रेषित कर, प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से इस सेक्टर में रुकावट का कार्य करने वाले विभिन्न विभागों के नियमों का सरलीकरण किए जाने की माँग की गई क्योंकि वर्तमान में इस सेक्टर को एमएसएमई विभाग को 'संधारण शुल्क' एवं श्रम विभाग के अन्तर्गत ''फैक्ट्री लायसेंस शुल्क'' सहित म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के तहत ''विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय शुल्क'' के प्रावधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उद्यमियों को काफी परेशानी हो रही है ।
* ऊर्जा मंत्री–माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, भीषण गर्मी के वर्तमान समय में विद्युत वितरण कं. द्वारा बगैर किसी पूर्व सूचना के शहर में की जा रही लगातार विद्युत कटौती को तत्काल रोके जाने सहित वॉल्टेज में उतार–चढ़ाव की समस्या के त्वरित समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा–निर्देश जारी करने की माँग की गई ।

अग्निकाण्ड में मृत व्यवसाई-स्व. श्री विजय गर्ग की धर्मपत्नी को रु. 20 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने एवं शासकीय सेवा में नियुक्ति किए जाने की माँग के साथ जिलाधीश-श्रीमती रुचिका चौहान को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. मोहन यादव के नाम सौंपा ज्ञापन

केन्द्रीय संचार मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद-माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह एवं ऊर्जा मंत्री-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी प्रेषित किए माँग-पत्र

ग्वालियर के बहौड़ापुर क्षेत्र में स्थित कैलाश नगर में बुधवार-गुरुवार (दिनांक 20 जून,24) की दरमियानी रात में ड्रायफ्रूट्स व्यापारी, श्री विजय गर्ग के घर में हुए भीषण अग्निकाण्ड में उनकी व उनकी सुपुत्री कु. अंशिका गर्ग एवं कु. यशिका गर्ग की दर्दनाक मृत्यु हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमती सुमन गर्ग के सामने उत्पन्न हुईं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन से रु. 20 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया कराने एवं शासकीय सेवा में नियुक्ति किए जाने की माँग करते हुए दिनांक 21 जून को चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन, ग्वालियर कलेक्टर-श्रीमती रुचिका चौहान सौंपा । इसी के साथ पदाधिकारियों द्वारा ग्वालियर के सांसद-माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह से भेंट कर, उन्हें भी एक माँग-पत्र सौंपा गया । साथ ही, केन्द्रीय संचार मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया एवं ऊर्जा मंत्री-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी ज्ञापन प्रेषित किए गए ।

माननीय सांसद-श्री भारत सिंह कुशवाह एवं जिलाधीश महोदया से भेंट के दौरान अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल शामिल थे ।

पदाधिकारियों द्वारा भेंट के दौरान सांसद महोदय एवं जिलाधीश महोदया से कहा कि चूंकि पीड़ित परिवार में अब केवल उनकी पत्नी एवं छोटा बच्चा ही बचा है और उनके ऊपर बिपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा है । इस भीषण अग्निकाण्ड में उनके पति व उनकी दोनों बेटियों की जलकर मृत्यु हो जाने के उपरान्त परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा है । इसलिए यह आवश्यक है कि मानवीय व नैतिकता के आधार पर स्व. श्री विजय गर्ग की धर्मपत्नी श्रीमती सुमन गर्ग को राज्य शासन की ओर से रु. 20 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए । साथ ही, उन्हें शासकीय नौकरी पर भी नियुक्त किया जाए, ताकि वह अपना व अपने छोटे बच्चे की पढ़ाई सहित जीवन-यापन कर सकें ।

साथ ही, पदाधिकारियों ने माननीय सांसद महोदय एवं जिलाधीश महोदया से कहाकि इस हृदय विदारक अग्निकाण्ड से प्रत्येक ग्वालियरवासी हतप्रभ है और उक्त घटना में राहत व बचाव कार्य में हुई देरी से नाराज भी है क्योंकि इस घटना के तत्काल बाद यदि बचाव दल द्वारा पूरी मुश्तैदी के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया जाता, तब निश्चित तीनों जिंदगियों को इस अग्निकाण्ड से बचाया जा सकता था । इसलिए प्रशासन की ओर से बचाव व राहत कार्य में हुई देरी की न्यायिक जाँच कराई जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना होने पर लापरवाही की पुनरावृत्ति नहीं हो और पीड़ित व्यक्तियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला जा सके ।

उपलब्धियाँ...

उपाध्यक्ष, डॉ. राकेश अग्रवाल, 'अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन' के प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत

चेम्बर के उपाध्यक्ष, डॉ. राकेश अग्रवाल जी को ''अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन'' का म. प्र. अध्यक्ष मनोनीत किया गया है । आपका यह कार्यकाल दि. 31 मार्च,2026 तक की अवधि के लिए है ।

अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के म. प्र. अध्यक्ष मनोनीत होने पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष-हेमन्त गुप्ता, मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव-पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष-संदीप नारायण अग्रवाल सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, डॉ. राकेश अग्रवाल जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं ।

जून, 2024 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र प्रेषित कर, रु. 10/- के सिक्के से आमजन में उत्पन्न भ्रांतियों को दूर किए जाने की माँग करते हुए, स्थिति को स्पष्ट करने की माँग की गई है ।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर उद्योग नगरी में संचालित इकाईयों से सम्पत्ति कर 'परिक्षेत्र क्रमांक-3' की दरों के अनुसार लिए जाने की माँग की गई ।
* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर शहर की ट्रेफिक व्यवस्था एवं साइबर क्राइम पर एक बैठक 'चेम्बर भवन' में आयोजित करने की माँग की गई ।
* प्रदेश के मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय मंत्री-श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया, ऊर्जा मंत्री-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, संभागीय आयुक्त, ग्वालियर संभाग एवं जिलाधीश-ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर सभी शासकीय भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग कराए जाने की माँग की गई ।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शहरवासियों को सम्पत्ति कर जमा करने में आ रहीं वैधानिक एवं व्यवहारिक परेशानियों को दूर करने की माँग की गई ।
* प्रदेश के उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री-माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी को पत्र प्रेषित कर, वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित में शामिल करने हेतु सुझाव व माँगे प्रस्तुत की गई । इनमें प्रमुख रूप से :- (1) मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए (2) पेट्रोल-डीजल पर वैट की दर समीपवर्ती प्रदेशों के समान की जाए (3) प्रोफेशनल टैक्स को समाप्त किया जाए (4) स्टॉम्प ड्यूटी समीपवर्ती प्रदेशों के समान की जाए (5) प्रदेश के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मँगाए गए दलहन पर मण्डी शुल्क से छूट दी जाए (6) व्यापारिक सुरक्षा अधिनियम बनाया जाए (7) एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में वितरण हेतु लंबित इकाईयों को भुगतान हेतु आबंटन राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाए (8) पर्यावरण संरक्षण हेतु बजट बढ़ाया जाए (9) प्रदेश के सभी महानगरों में बहुमंजिला इमारतों के अनुरूप आधुनिक फायर सिस्टम की व्यवस्था की जाए (10) वर्ष 1990-92 में सेल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जमा कराई गई फिक्स्ड डिपोजिट सिक्योरिटी मनी को स्वतः वापिस किया जाए (11) ग्वालियर अंचल के पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए बजट में फण्ड की व्यवस्था की जाए (12) ग्वालियर की यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु तकनीक बेस्ड फण्ड उपलब्ध कराया जाए (13) शहर में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं से उत्पन्न हो रही समस्या को दूर करने बजट का प्रावधान किया जाए ।
* प्रदेश के उपमुख्यमंत्री-माननीय श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय को भोपाल में पत्र सौंपकर, ट्रांसपोर्ट नगर की अत्यन्त जर्जर सड़कों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता की आरसीसी की सड़कों का निर्माण किए जाने, गारबेज शुल्क का समायोजन किए जाने, माधव प्लाजा में जीडीए द्वारा की गई गलती निवेशकों पर नहीं थोपे जाने सहित एमएसएमई प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में वितरण हेतु लंबित इकाईयों को भुगतान हेतु आबंटन राशि उपलब्ध कराए जाने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की माँग की गई ।
* ग्वालियर प्रवास पर पधारने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय को शहर के व्यवसाईयों की ज्वलंत समस्याओं पर ज्ञापन सौंपा गया, जिनके बिन्दु निम्नानुसार हैं :- (1) ट्रांसपोर्ट नगर की अत्यन्त जर्जर सड़कों के स्थान पर उच्च गुणवत्ता की आरसीसी की सड़कों का निर्माण किया जाए (2) गारबेज शुल्क का समायोजन किया जाए (3) मैरिज गार्डन संचालकों से माँगी जा रही पैनल्टी के संबंध में (4) नगर-निगम का सॉफ्टवेयर हैक हो जाने से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाए ।
* महापौर, माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार जो पत्र प्रेषित कर, 6% छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की अवधि कम से कम 02 माह बढ़ाए जाने की माँग की गई ।
* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर को ज्ञापन सौंपकर भिण्ड के व्यवसायी के साथ पड़ाव थाना क्षेत्र में हुई चोरी की घटना के दोषी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की माँग की गई ।

'दो-दिवसीय सम्पत्ति कर शिविर' आयोजित

नगर-निगम के सहयोग से दिनांक 27-28 जून,2024 को 'चेम्बर भवन' में सम्पत्ति कर शिविर का सफलता पूर्वक आयोजन किया गया । उक्त दो-दिवसीय सम्पत्ति कर शिविर में शहर के सभी 66 वार्ड के टीसी व उनके सहायक उपस्थित रहे और व्यवसाईयों सहित आमनागरिकों का सम्पत्ति कर जमा किया गया । उक्त दो-दिवसीय सम्पत्ति कर शिविर में रु. 08 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नगर-निगम, ग्वालियर को हुई । इसके साथ ही, चेम्बर ने महापौर, माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार एवं आयुक्त, नगर-निगम, श्री हर्ष सिंह से माँग की गई है कि 6% छूट के साथ, सम्पत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि जो कि 30 जून है । उक्त अवधि को कम से कम 02 माह के लिए आगे बढ़ाया जाए क्योंकि नगर-निगम का कुछ माह पूर्व सॉफ्टवेयर हैक हो जाने से ग्वालियर शहर के सम्पत्तिकर दाताओं के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है और डाटा अभी तक पूरी तरह से रिकबर नहीं हुआ है, जिसके कारण करदाता ऑनलाइन सम्पत्ति कर जमा नहीं कर पा रहे हैं । साथ ही, पूर्व में जमा किए अधिक गारबेज शुल्क का डाटा भी कम्प्यूटर में नहीं दिखने से वर्तमान वित्तीय वर्ष का सम्पत्ति कर जमा करते समय पूर्व में जमा किए गए अधिक 'गारबेज शुल्क' का समायोजन भी नहीं हो पा रहा है । इस समस्या से शहर का सम्पत्ति करदाता असमंजस की स्थिति में हैं ।

स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत पूर्ण हुए कार्यों में मेंटिनेंस का अभाव है : प्रवीण अग्रवाल

ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. द्वारा स्मार्ट सिटी एडवायजरी फोरम की बैठक दि. 20 जून को मोतीमहल कार्यालय में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता नवनिर्वाचित सांसद–श्री भारत सिंह कुशवाह ने की।

इस बैठक में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल शामिल हुए। आपने बैठक में कहाकि स्मार्ट सिटी के जो परिकल्प पूर्ण हो गए हैं, उसमें मेंटिनेन्स के अभाव का मुद्दा उठाते हुए स्ट्रीट लाइट की समस्या को उठाते हुए कहाकि स्ट्रीट लाइट के मेंटिनेंस का कार्य निजी कं. को सौंपने के बाद भी प्रमुख बाजारों सहित जो चारों दिशा से शहर में प्रवेश मार्ग हैं, वहाँ की स्ट्रीट लाइट बंद रहती है और आसानी से उसका सुधार नहीं होता है। इसके लिए एक हेल्पलाइन नं. उस निजी कं. द्वारा जारी किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने पूरे शहर में तीसरी आँख के रूप में सीसीटीव्ही लगाए जाने की निविदा निरस्त किए जाने पर सुझाव देते हुए कहाकि इसे पुनः टेंडर कर शीघ्रातिशीघ्र शहर में सीसीटीव्ही स्थापित कराए जाने चाहिए, जिस पर नगर–निगम, आयुक्त–श्री हर्ष सिंह ने कहाकि इसके टेंडर पुनः करेंगे। स्मार्ट सिटी द्वारा 10 स्मार्ट वॉशरूम के स्थल चयन में महाराज बाड़ा क्षेत्र में एक भी स्मार्ट वॉशरूम का चयन नहीं होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए, डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि बाड़ा शहर का हृदय स्थल है और वहाँ पर एक भी वॉशरूम नहीं होना, लोगों की खासकर महिलाओं के लिए बहुत पीड़ा दायक तो है ही, इससे इस क्षेत्र के व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिस पर सीईओ–श्रीमती नीतू माथुर ने आश्वस्त किया कि हम स्थल का निरीक्षण कर, इस क्षेत्र को भी शामिल करेंगे।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने महाराज बाड़ा की पार्किंग के मुद्दे पर कहाकि यह लगभग 05 वर्ष पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें पिछले वर्ष से कार्य प्रारम्भ हो पाया है, लेकिन स्मार्ट सिटी इसे जून,2025 तक पूर्ण करने की कह रहा है, लेकिन काम की गति और प्रगति देखकर लगता नहीं कि यह कार्य इस अवधि में पूर्ण हो पाएगा। इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी को सर्वोच्च प्राथमिकता में लेना होगा क्योंकि इसके अभाव में बाड़ा, सराफा बाजार, माधौगंज, गाँधी मार्केट, दौलतगंज आदि क्षेत्रों के कारोबार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर सांसद–श्री भारत सिंह कुशवाह ने सहमति व्यक्त करते हुए, इसको प्रमुखता से पूर्ण करने और यदि ठेकेदार समय पर कार्य नहीं करता है, तो दंडित करने और इसका एडवायजरी कमेटी के साथ शीघ्र अवलोकन के निर्देश दिए।

अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने पार्कों के रखरखाव के लिए सभी पार्कों की सूची उपलब्ध करवाने के लिए भी कहा, जिससे वह सूची भेजकर कुछ कं. और संस्थाओं से आग्रह कर, उन्हें गोद लेने का आग्रह किया जा सके, जिससे उनका उचित रखरखाव हो सके और सैलानियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

उपलब्धियाँ...

कार्यकारिणी सदस्य, सीए अशोक विजयवर्गीय जी की फर्म, मेसर्स ए विजयवर्गीय एण्ड कं. को आयकर लेखापरीक्षा करने हेतु विशेष लेखा परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध

ICAI, नई दिल्ली में आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन लेखा बोर्ड में सीए अशोक विजयवर्गीय सह–चयनित सदस्य मनोनीत

1. चेम्बर के कार्यकारिणी सदस्य, सीए अशोक विजयवर्गीय जी की फर्म को आयकर अधिनियम,1961 की धारा 142(2ए) के अंतर्गत विशेष लेखापरीक्षा करने के उद्देश्य से पैनल में चुना गया है। यह पैनलबद्धता दिनांक 11.06.2024 से 30.06.2027 तक वैध रहेगी, जब तक कि इसे वापिस नहीं ले लिया जाता। फर्म को सक्षम प्राधिकारी अर्थात् आयकर के प्रधान मुख्य आयुक्त, भोपाल के पूर्व अनुमोदन से सूचीबद्ध किया गया है।

   यह पैनलबद्धता प्रधान सीसीआईटी, भोपाल क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, जिसमें प्रधान सीआईटी (भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर) का क्षेत्राधिकार आता है।

2. कार्यकारिणी सदस्य, सीए अशोक विजयवर्गीय जी वर्ष 2024–25 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली में आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन लेखा बोर्ड में सह–चयनित सदस्य मनोनीत हुए हैं।

   सीए अशोक विजयवर्गीय जी (मेसर्स ए विजयवर्गीय एण्ड कं.) को प्रधान सीसीआईटी द्वारा विशेष लेखा परीक्षक के रूप में पैनलबद्ध किए जाने एवं भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली में आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन लेखा बोर्ड में सदस्य मनोनीत होने पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष–हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, श्री विजयवर्गीय जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

चैक बाउंस पर कार्यशाला आयोजित

चैक बाउंस पर एक कार्यशाला का आयोजन दिनांक 29 जून को 'चेम्बर भवन' में किया गया। उक्त कार्यशाला में वरिष्ठ अभिभाषकद्वय श्री प्रशांत शर्मा एवं श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान द्वारा चैक बाउंस से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विधिक सलाह देकर, उपस्थितजनों में जागरुकता उत्पन्न की गई।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने अपने स्वागत उद्‌बोधन में कहाकि चैक बाउंस पर जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, यह कार्यशाला का दूसरा पहलू है। असल में यह कार्यशाला व्यापारिक लेनदेन कानूनी रूप से कितना मजबूत हो, इस पर विधिक जानकारी देने एवं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आयोजित की गई है।

कार्यशाला का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहाकि हमारी टीम द्वारा कारोबारियों को विधिक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक जागरुकता उपसमिति का गठन किया गया है और इस उपसमिति की प्रथम बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि व्यवसायियों को उनके व्यापारिक लेनदेन में आ रही परेशानियों, जिनमें चैक बाउंस एक बड़ा मुद्दा है। उस पर जागरुक किया जाए। आज की कार्यशाला इस उद्देश्य को अवश्य ही पूरा करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है।

इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक, श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान ने अपने उद्‌बोधन में कहाकि पूर्व में वस्तु विनिमय का नियम था। लोग वस्तु के बदले वस्तु का लेनदेन करते थे, परन्तु समय बदला और हम चैक से व्यापारिक लेनदेन कर रहे हैं। वर्ष 1998 तक दक्षिण भारत में चैक बाउंस के मामले ज्यादा आते थे, उत्तर एवं मध्य भारत में यह नगण्य थे, लेकिन वर्तमान में यह हर जगह देखने को मिल रहे हैं। आपने कहाकि पहले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत मात्र चैक पर हस्ताक्षर करने से आप दोषी हो जाते थे, लेकिन वर्ष–2006 में यह बदला और आज चैक ग्रहिता पर भी इसकी जिम्मेदारी आ गई है। आप यदि किसी को चैक देते हैं और वह आपका पैसा नहीं लौटाता है, तो न्यायालय में केस जाने पर वह आपकी सम्पन्न को चैलेंज करता है कि आपने जो मुझे रुपया दिया है क्या उतनी राशि देने के लिए आप सक्षम हैं। अब ऐसी स्थिति के लिए कारोबारी क्या करे ? आपने बताया कि यदि आप ब्याज पर पैसा किसी को दे रहे हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन साहूकारी एक्ट के तहत होना चाहिए। आप साहूकारी लायसेंस प्राप्त करें। साथ ही अपने एकाउंट्स में दिए गए पैसे को दर्ज करें। इससे आप अपनी सामर्थ्य को न्यायालय में सिद्ध कर पाएँगे। साहूकारी लायसेंस लेने के बाद ही आप ब्याज प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। रुपये देने वाले से प्रोमिसरी नोट पर हस्ताक्षर कराएँ, जिस व्यक्ति से आपने चैक प्राप्त किया, उस नाम से व्यक्ति का खाता बैंक में है या नहीं ? वह बैंक में दर्ज कराए गए पते पर रहता है या नहीं। आपने निर्धारित अवधि में चैक बैंक में जमा कर दिया है और वह निर्धारित अवधि में जिस बैंक से पैसा आना है, उसमें प्रस्तुत हो गया है, जितनी राशि का चैक इश्यू किया गया है, उतनी लिमिट उस खाते पर है या नहीं। यदि इन सब बातों को आपने सही सुनिश्चित कर लिया है, तो ही चैक डिसआर्नर होने पर आपका प्रकरण धारा 138 के प्रकरण में जीत की उम्मीद कर सकते हैं। इसी के साथ आपने व्यापारिक लेनदेन को विधि अनुसार करने की विस्तार से जानकारी दी।

कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में पधारे, वरिष्ठ अभिभाषक–श्री प्रशांत शर्मा ने कहाकि हम पहले पानी पी लेते थे, लेकिन आज बिसलरी की बोतल का पानी पी रहे हैं क्योंकि अब प्याऊ के पानी में प्योरिटी नहीं रही। इसलिए हमने प्रोटेक्शन को अपनाया। इसी प्रकार व्यापारिक लेनदेन में आज विश्वास नामक प्योरिटी कम हो गई है, तो हमें विधि अनुसार अपने प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाना होगा। आपने कहा कि हमने आईएसओ सर्टिफि केशन सुने हैं। यह क्या है ? जिस किसी के पास भी यह सर्टिफि केशन है, उन्होंने एक प्रोटोकोल को अपनाया है। इसी प्रकार हम अपने व्यापारिक लेनदेन के प्रोटोकोल को विधि अनुसार बनाएँ और उन्हें फ ॉलो करेंगे, तो फि र कोई व्यक्ति हमारी गाड़ी कमाई को नहीं हड़प सकेगा। आपने कहाकि जब भी आप पैसे का लेनदेन करें, तो उसका एग्रीमेंट करें और उसे दो प्रतियों में बनवाएँ, एक आपके पास रहे। यदि इसमें स्टॉम्प की राशि ज्यादा लग रही है, तो लगे लेकिन ऑरिजनली वह आपके पास होना चाहिए। यदि आप किसी को एक लाख का लेनदेन कर रहे हैं, तो 99 हजार भले ही कैश से दें लेकिन एक हजार उसे चैक से दें। यह एक हजार का चैक आपके 99 हजार कैश की राशि को संरक्षित करेगा क्योंकि आपने लिखकर दिया है कि 99 हजार केश और एक हजार चैक से दिए हैं। हुण्डी का लेनदेन हमारे देश में बैंकिंग से भी ज्यादा है, लेकिन इसे कानून अनुसार फु लप्रूफ बनाएँ। इसका प्रोटोकाल और शर्तें आप बना लेंगे और उसका कड़ाई से पालन करेंगे, तो आपका धन सुरक्षित रहेगा।

अंत में आभार, विधिक जागरुकता उपसमिति के संयोजक–श्री शैलेष जैन द्वारा व्यक्त किया गया। कार्यशाला में उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल, पूर्व संयुक्त अध्यक्ष–श्री प्रशांत गंगवाल, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री नरेश सिंघल, पूर्व कोषाध्यक्ष–श्री वसंत अग्रवाल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यगण व सदस्यगण उपस्थित थे।

इतिहास के झरोखे से....

संस्था के 118 वर्ष के सभी दस्तावेजों को डिजीटलाईज कराए जाने पर कई ऐतिहासिक जानकारियाँ सामने आईं । इसी कड़ी में संस्था की स्थापना के समय के प्राप्त दस्तावेजों से प्राप्त जानकारी आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत है –

- दिनांक 26 मई 1906 को स्थापना ।
- प्रथम साधारण सभा की बैठक दिनांक 26 मई 1906 को सायंकाल 05.00 बजे अमृतसर बैंक, ग्वालियर में आयोजित की गई ।
- सर्वसम्मति से सेठ गोपालदास जी सभा के सभापति नियुक्त किए गए ।
- इस बैठक में लाला गोवर्धनदास जी, एजेन्ट अमृतसर बैंक ने प्रस्ताव किया कि ''चेम्बर ऑफ कॉमर्स'' की स्थापना की जाए, जिसका हुकुम सिंह जी साहब ने इसका अनुमोदन किया ।
- उक्त अधिवेशन में सर्वसम्मति से यह भी निश्चय हुआ कि :- सेठ भिखारीदास जी-प्रेसीडेन्ट, बाबू गोवर्धनदास जी-वाइस प्रेसीडेन्ट, कुँवर हुकुम सिंह जी-सेकेट्री, बाबूरामजीदास जी-ज्वाइंट सेकेट्री, अमृतसर बैंक-खजांची, चयनित किए गए । साथ ही, सर्वसम्मति से निश्चय किया गया कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स, ग्वालियर के निम्नलिखित पाँच उद्देश्य होंगे :- 1. वाणिज्य व्यापार संबंधी आपस के झगड़ों और अभियोगों को निवटाना । 2. वाणिज्य तथा व्यापार संबंधी कष्टों तथा कठिनाईयों को दरवार की सेवा में उपस्थित करना । 3. ग्वालियर राज्य में वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति के उपाय सोचना और व्यवहार में लाना । 4. प्रजा की वाणिज्य संबंधी उन्नति के कार्यों में दरबार को सहायता देना । 5. अन्य उपायों को उपयोग में लाना, जिससे वाणिज्य को उन्नति पहुँचे ।
- सर्वसम्मति से यह भी निश्चय हुआ कि इस सभा की कार्यवाही देवनागरी भाषा में हो तथा यह भी निश्चय हुआ कि प्रत्येक मेम्बर मैनेजिंग कमेटी से प्रतिमाह आठआना चन्दा वसूल किया जाए ।
- दिनांक 10 जून, 1906 को आयोजित बैठक में तय हुआ कि अन्य चेम्बर ऑफ कॉमर्स से नियमों को मँगाकर संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया जाए ।
- ड्राफ्ट कमेटी में सेठ बागमल जी, सेठ कु. हुकुम सिंह जी, लाला आनन्दी प्रसाद, बाबू रामजीदास जी, सेठ नारायणदास जी दूदावत को शामिल किया गया ।
- कमेटी द्वारा 15 जुलाई,1906 को ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया गया । बैठक में तय हुआ कि भाषा सरल की जाए ।
- दिनांक 09 जनवरी, 1907 को संविधान पेश किया गया, जो कि पास हुआ । साथ ही तय हुआ कि इसकी कुछ कॉपी छपवाई जाएँ ।
- दिनांक 22 जुलाई, 1906 को बजट पेश किया गया, लेकिन उसमें खर्चा आय से अधिक होने के कारण बैठक में बजट को पास नहीं किया गया ।
- लाला गणपतराय साहब ने रु. 02 प्रतिमाह, एक वर्ष तक सहायतार्थ देने का एलान किया ।
- दिनांक 07 अप्रैल 1907 को ''विलायती शक्कर पर 2/- रुपये प्रति मन कर है, बतासे व मिश्री बाहर से लाने पर 1/- रुपये प्रति मन कर है । शक्कर की जगह बतासे व मिश्री बाहर से आने लगे हैं । इसलिए शहर में बताशे व मिश्री बनाने का कारोबार चौपट हो गया है, कारीगर खाली बैठे हुए है, अथवा बाहर जाकर कार्य कर रहे है । इसलिए शक्कर एवं बाहर से आने वाले मिश्री, बताशे पर समान कर लगाया जाने पर गंभीरता से चर्चा की गई'' । साथ ही, दरबार से माँग की गई कि शक्कर व मिश्री पर समान कर लगाया जाए ।
- दिनांक 05 मई, 1907 को बैठक में तय हुआ कि कमर्शियल बोर्ड को चिट्ठी लिखी जाए, जो भी माल बाहर से आता है, उस पर टैक्स लिया जाता है और वापस भेजते वक्त टैक्स वापस नहीं किया जाता है । इस कारण बहुत सा माल जो भविष्य में बाहर जाना हो, वह नहीं आता । चेम्बर ने दरबार से माँग की कि नियम को सरल बनाया जाए व बाहर माल जाने पर टैक्स वापिस किया जाए, जिससे व्यापार की तरक्की हो ।
- दिनांक 01 मई, 1909 को आयोजित बैठक में ज्यूडिशियल साहब द्वारा पत्र के माध्यम से चेम्बर से नकली चन्देरी पर माँगी राय पर चर्चा कर तय हुआ कि कच्चा या पक्का माल बनाना बंद नहीं किया जाए, सिर्फ 'नकली चन्देरी' एक ऐसी मोहर बनाई जाए, जो नकली माल पर लगाई जाए और यह मोहर जैसी तहसील स्तर पर लगाई जाए, इसके खिलाफ कोई किसी किस्म की धोखेबाजी करे, तो फौजदारी सुपुर्द हो । साथ ही इस राय से ज्यूडिशियल साहब को अवगत कराया गया ।

क्रमशः...

An elleven park
Resort & Wedding Venue

Ashish Agrawal
Executive Member
M.P. Chamber Of Commerce & Industry
Gwalior M.P.

An Elleven Park

Resort & Wedding Venue

A Perfect Venue For Your Dream Wedding

Banquet Hall
For More Than
500 People

30 Rooms
with The Capacity of
150+ People

2 Lawns
Which Can
Accommodate
1800 to 3000 Guests

Pool Area
For Your Dream
Haldi Event

Services

Wedding Venue | Reception | Ring Ceremony | Luxury Rooms
Wedding Events | Engagement | Aniversary | Pool Party

Add. 1.5 K.m. From Vicky Factory Chouraha,Towards Jhansi Road, Gwalior (M.P.)
9425111122, 7610411211, 7909311211

THE COMPLETE
FURNITURE, ELECTRONICS & INTERIOR SOLUTION

Reejhul FURNITURE

DAENYX HAPPY LIFE
ELECTRONICS

ANJALI GUPTA BATRA
Director

Executive Member
M.P. Chamber of Commerce & Industries, Gwalior

WOODEN FURNITURE	SCHOOL FURNITURE	OFFICE FURNITURE
SLEEPWELL MATTRESS	KURL-ON MATTRESS	REFRESH MATTRESS
KITCHEN MODULAR	CHAIRS PLASTIC	SWINGS (JHULA)
COOLER'S METAL/PLASTIC	ALMIRAH WOODEN/METAL	

FURNISHING & HOUSE DECOR PRODUCTS
Curtains | Blends | Bed Sheets | Wall Papers | Quilts | PVC & Wooden Floors
Bed Covers | Comforters | Protectors | Curtain Hardware

Reejhul FURNITURE

रीझुल कूलर फैक्ट्री, पानी की टंकी के पास
पिंटो पार्क, ग्वालियर (म.प्र.)
मोबाइल : 9109973355

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा माँ कैला देवी प्रिन्टर्स, ग्वालियर द्वारा मुद्रित तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–0751-2371691, 2632916, 2382917